

प्रपत्र - 2.4

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18-

राज्य सरकार की सिफारिश:

(उपर्युक्त भाग-III या भाग-III या

भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी

द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर

विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

Photocopy
Handwritten signature
माननीय राज्य सरकार के सचिव
राज्य सरकार के सचिव
राज्य सरकार के सचिव

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण।

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप
ग) परियोजना की लागत
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने: नहीं। के लिए)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जुरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

: मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 31 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण।

: संलग्न है।

: रु0 19,14,500 लाख (पंद्रह करोड़)

: मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु।

: आवश्यकता नहीं है।

: मोटर मार्ग के निर्माण से लगभग 100 लोगों

: को रोजगार प्राप्त होगा।

: नहीं।

: नहीं।

: नहीं।

: हाँ

: संलग्न है।

: संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(इं0 जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी)

अधिकासी अभियन्ता

प्रांतीय विप्लव मोर्चा (अभियन्ता)

प्रांतीय विप्लव मोर्चा (अभियन्ता) नि० दि०

प्रांतीय विप्लव मोर्चा (अभियन्ता)

प्रांतीय विप्लव मोर्चा (अभियन्ता)

प्रस्ताव की कम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरे जाएंगे)

(Signature)

Assistant Engineer

दिनांक 20/12/2017
स्थान नैनीताल

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7- परियोजना/स्कीम का स्थान - मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 317/2013 के जनपद नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवला मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटरमार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक ल0-1.70 किमी0)

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र

- उत्तराखण्ड

ii. जिला

- नैनीताल

iii. वन प्रभाग

- हल्द्वानी वन प्रभाग

iv. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन

- 1.53 है0 (आरक्षित भूमि)

v. भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

- आरक्षित

vi. हरियाली का घनत्व

- 0.00 - 0.10

vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के

सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर

परिगणना भी संलग्न किए जाए

viii. भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

संलग्न है

यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर सूखी नदी/आरक्षित वन क्षेत्र में है। भू क्षरण की सम्भावना न्यूनतम है।

वन क्षेत्र से लगा हुआ है।

ix. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)

xi. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अज्ञापति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

- नहीं है

- नहीं है

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

सम्पूर्ण वन प्रभाग "शिवालिक हाथी रिजर्व" का हिस्सा है। उक्त क्षेत्र छकाता राजि के कालूखेड़ा क0सं0-1 व रातीघाट क0सं0-5 में स्थित है।

मार्ग निर्माण में इस वन प्रभाग में 1700 मी0 लम्बाई व चौड़ाई 9 मी0 भू-भाग कुल 1.53 है0 वन भूमि का प्रयोग मार्ग सुधारीकरण/काजवे निर्माण हेतु न्यूनतम मांग है।

क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।

-

नहीं

10-

I.

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार सिविल सोयम भूमि (बैतालघाट ब्लाक) काड़ा ग्राम।

संलग्न है।

II.

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न है।

III.

रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

संलग्न है।

IV.

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

V.

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न है।

1.

उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

2.

प्रमाण/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र (जिला नैनीताल)

4251 वर्ग कि०मी०

ii.

जिला/प्रमाण का वन क्षेत्र।

हल्द्वानी वन प्रभाग का क्षेत्र 02 जनपदों पर पड़ता है।

1- जनपद नैनीताल- 47808.62 है०

2- जनपद चम्पावत- 15651.38 है०

कुल योग- 63460.00 है०

30 मामलों व 367.184 है०

i. मामलों की संख्या सहित 1980 से

वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

1980 से जिला/प्रमाण में निर्धारित कुल

प्रतिकूल वनीकरण

- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित - -
वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक - - 90.972 है0 व 2 रो0 कि0मी0 इस वन प्रभाग में वनीकरण में हुयी प्रगति प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।
- (क) वन भूमि पर - - 90.972 है0 व 2 रो0 कि0मी0
(ख) वनेत्तर भूमि पर - -
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव - - संस्तुति सहित अग्रसारित अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

14 प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की टिप्पणी— उक्त क्षेत्र नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन की परिधि में आता है। यह क्षेत्र वास्तव में वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। अतः वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता हेतु परियोजना बनाकर संलग्न की जा रही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा तैयार की गयी योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 21/1/2015

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम - (डा0 सी0 एस0 सनवाल)

सरकारी मोहर प्रभागीय वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

Atto Copy
Attachee

Assistant Engineer
Provincial Division
P.W.D. Nainital

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित -

वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक

वनीकरण में हुयी प्रगति

90.972 है0 व 2 रो0 कि0मी0 इस वन प्रभाग में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

90.972 है0 व 2 रो0 कि0मी0

13

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव

अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन

संरक्षक की विशेष सिफारिश।

संस्तुति सहित अग्रसारित

14 प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की टिप्पणी- उक्त क्षेत्र नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन की परिधि में आता है। यह क्षेत्र वास्तव में वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। अतः वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता हेतु परियोजना बनाकर संलग्न की जा रही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रु0 100 लाख की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा तैयार की गयी योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 21/1/2015

स्थान 21/1/2015

हस्ताक्षर

नाम - (डा0 सी0 एस0 सनवाल)

सरकारी मोहर प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

Photo Copy
Attachee
[Signature]

Assistant Engineer
Provincial Division
P.W.D. Nainital

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

दि:.....

ग:.....

Signature
 सहायक वन संरक्षक
 राज्य वन विभाग
 जयपुर, राजस्थान

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर


सहायक अभियन्ता
खण्ड, लो0नि0वि0
प्रान्तीय नैनीताल